उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पलामू।
(उत्पाद शाखा)

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1/नीति–28/2018–2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रकाशित *"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018"* (समय–समय पर यथासंशोधित) तथा राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्त्तों के तहत, दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 हेतु, अथवा अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि से शेष बची अवधि के लिए, वित्तीय वर्ष 2020–21 की शेष बची अबंदोबस्त दुकानों एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अनवीकृत "देशी शराब की 07 (सात) दुकानें", "विदेशी शराब की 05 (पांच) दुकानें" तथा "कम्पोजिट शराब दुकान की 02 (दो) दुकानों" की कुल–14 (चौदह) एकल समूहों में बंदोबस्ती ई–लॉटरी प्रणाली द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जायेगी –

क्र0	विषय	तिथि
1	2	3
1	"देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट शराब की दुकानों" की बंदोबस्ती हेतु आनलॉइन अभ्यावेदन समर्पित करने की तिथि व समय	दिनांक–01/06/2021 के पूर्वाहन 11:00 बजे से दिनांक–14/06/2021 के संध्या 07:00 बजे तक
2	ई–लॉटरी की तिथि एवं समय	दिनांक 15/06/2021 के पूर्वाहन 10:30 बजे से
3	ई–लॉटरी का स्थान	जिला समाहरणालय का सभाकक्ष, पलामू
4	ई–लॉटरी समर्पित करने हेतु वेबसाइट का पता	https://jhexcise.neml.in
5	बंदोबस्ती पदाधिकारी	उपायुक्त, पलामू

2. **ई–लॉटरी हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, निर्धारित शर्त्तें एवं प्रतिबंधों की विवरण निम्नवत है–**

i. दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई ***"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018"*** (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्त्तों के तहत सम्पन्न करायी जायेगी।

ii. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु दुकानों के समूह का गठन किया गया है। दुकानों की बंदोबस्ती हेतु गठित समूह के अंतर्गत न्यूनतम एक दुकान तथा अधिकतम तीन दुकानें हो सकती हैं। दुकानों की बंदोबस्ती समूहवार की जायेगी।

iii. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती, अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक के लिए की जायेगी, परंतु अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए प्रदान की जायेंगी।

iv. **बंदोबस्ती हेतु अर्हत्ता**– कोई भी आवेदक, जिला/राज्य के सभी खुदरा उत्पाद दुकान के किसी समूह पर अधिकतम तीन आवेदन समर्पित कर सकता है, बशर्त्ते कि वह समूह अंतर्गत दुकानों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि, एजेन्सी चार्ज एवं नियमानुसार GST की राशि जमा कर दें।लॉटरी में एक आवेदक किसी जिले में ई–लॉटरी के तहत अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा तथा संपूर्ण राज्य में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा। जैसे– यदि विभिन्न चरणों की लॉटरी में यदि किसी आवेदक के साथ संपूर्ण राज्य में पाँच समूह की बंदोबस्ती हो गई है और यदि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सभी दुकानों के समूह का नवीकरण

करा लिया गया हो, तो इस चरण की बंदोबस्ती में उसके साथ मात्र एक ही समूह की बंदोबस्ती हो सकेगी। इसी प्रकार यदि किसी आवेदक के पक्ष में विभिन्न चरणों की बंदोबस्ती में छः समूह की बंदोबस्ती हो चुकी है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी। यदि किसी आवेदक के साथ पूर्व में पाँच समूह की बंदोबस्ती की गई है तथा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एक समूह का नवीकरण नहीं कराया है, तो उनके साथ अब अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती की जायेगी, अर्थात किसी भी परिस्थिति में एवं सभी चरणों की बंदोबस्ती के पश्चात किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो समूह तथा सभी जिला में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती हो सकेगी।

v. जिन व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति विभागीय नियमों के उल्लंघन तथा सरकारी बकाया रहने के कारण विखंडित हुई है, वैसे व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2021–22 की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पायेंगे।

vi. जिन व्यक्तियों के द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण सरकारी बकाया रहने के कारण नहीं कराया गया है, वैसे व्यक्ति भी वित्तीय वर्ष 2021–22 की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पायेंगे।

vi. खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 15% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर (MGD) एवं 85% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर(ETD) है।

vii. किसी भी दुकान हेतु निर्धारित कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 2% धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), 5% जमानत की राशि (Security Deposit) तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर निर्धारित है।

viii. किसी भी प्रकार के दुकान की लॉटरी में भाग लेने के लिए आवेदक को उस दुकान के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि, एजेन्सी चार्ज एवं नियमानुसार देय GST की राशि समेकित रूप से Online जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क, GST एवं एजेन्सी चार्ज की राशि Non-refundable है। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल आवेदकों की धरोहर धनराशि उनके द्वारा देय जमानत/अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (Advance Excise Transport Duty) की राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

ix. बंदोबस्ती में सफल आवेदक को दुकान अथवा दुकानों के समूह के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% जमानत की राशि तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा करना होगा। साथ ही उन्हें उस दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क को एकमुश्त जमा करना होगा। ससमय वांछित राशि जमा करने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

यदि बंदोबस्ती के उपरांत लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बंदोबस्ती के लिए निर्धारित जमानत की राशि एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर ससमय नहीं जमा किया जाता है, तो आवेदक द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा उन आवेदकों का नाम उत्पाद विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक Blacklisting की तिथि से एक वर्ष के लिए किसी भी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण नहीं कर सकेंगे।

x. आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक के पास निम्नलिखित कागजात होने चाहिए –

a. वैयक्तिक पहचान हेतु –पैन कार्ड (अनिवार्य)/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड (अनिवार्य) की सॉफ्ट कॉपी;

b. आवासीय प्रमाण हेतु – पासपोर्ट/अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंटकी सॉफ्ट कॉपी (इनमें से कोई एक);

c. पत्राचार पता हेतु – पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंट के पहले पेज की सॉफ्ट कॉपी (इनमें से कोई एक);

d. बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी (प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संबंधित विवरणी अंकित रहती है), अथवा,''बैंक स्टेटमेंट की प्रति'', जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन माह पूर्व की न हो अथवा,''कैन्सिल्ड चेक''।

e. आयकर रिटर्न की छायाप्रति {वित्तीय वर्ष 2019–20, Assessment Year 2020–21 (ITR - V)}।

f. आवेदक का हाल में खींचा गया फोटो की सॉफ्ट कॉपी;

g. ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018''में यथा वर्णित शपथ के अनुरूप नोटरी पब्लिक द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र की सॉफ्ट कॉपी।

xi. आवेदक ई–लॉटरी में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम अपने आप को लॉटरी पोर्टल, **http://jhexcise.neml.in** पर निबंधित करेगा।

xii. आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया वेब आधारित है एवं इंटरनेट के माध्यम से की जानी है, इसीलिए आवेदन करते समय आवेदक इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन्टरनेट स्पीड कम से कम 2 mbps की हो, ताकि आवेदन सुचारू रूप से किया जा सके।

xiii. जो आवेदक वर्तमान में अनुज्ञाधारी हैं एवं उनके द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कराया गया है, वैसे व्यक्ति अपने पुराने पंजीकरण (Regitration No.) के साथ ई–लॉटरी में Log-in कर भाग लेगा।

xiv. ई–लॉटरी पोर्टल पर निबंधन करने हेतु आवेदक के पास पैन नम्बर, चालू मोबाइल नंम्बर एवं ई–मेल पता होना चाहिए, ताकि उसपर OTPभेजा जा सके।

xv. ई–लॉटरी पोर्टल पर निबंधन के उपरांत दुबारा लॉगईन करने हेतु User ID, पैन नम्बर होगा तथा निबंधित मोबाइल संख्या पर प्रेषित OTP पासवर्ड के रूप में उपयोग किया जायेगा। आवेदक जितनी बार लॉगईन (Log-in) करेगा, उतनी बार नया OTP उनके मोबाइल पर प्रेषित किया जायेगा।

xvi. आवेदक को आवेदन करते समय अपना एक बैंक खाता संख्या अंकित करना होगा, जिसके माध्यम से ई–लॉटरी हेतु सभी प्रकार की राशि का आदान–प्रदान आवश्यक होगा। बैंक में पैसा जमा करते समय Narration/Descriptionडालते समय PAN No.का उल्लेख अवश्य करें, ताकि refundमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। असफल आवेदकों को Refund की जाने वाली राशि आवेदक द्वारा बताये गये खाते में ही वापस की जायेगी। आवेदन शुल्क, एजेन्सी चार्ज एवं GST की राशि Non-refundable है। प्रत्येक दुकान हेतु एजेन्सी चार्ज रू0 500/– होगा। आवेदन शुल्क व एजेन्सी चार्ज पर GST देय होगा।

xvii. आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले सभी आवश्यक कागजात उसी प्रपत्र एवं साईज लिमिट में होने चाहिए, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल में वर्णित किया गया है।

xviii. सभी आवेदक आवदेन करते हुए अपने आवेदन पत्र को कम–से–कम दो बार जाँच कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाये। गलत कागजात अपलोड करने की पूरी जिम्मेवारी आवेदक की होगी। अंत में पूर्ण आवेदन को वेबसाइट से डाउनलोड करके निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर स्कैन करेंगे एवं स्कैन कॉपी को अपलोड करेंगे।

xix. प्रत्येक आवेदन के लिए जमा की जाने वाली राशि, ई–लॉटरी से संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। आवेदक यह राशि विभाग के HDFC Bank के खाता संख्या 50100342434222, IFSC Code HDFC0002687 में जमा करेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के खाता से संबंधित विवरणी ई–लॉटरी संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। इस खाता में राशि केवल NEFT/RTGS/HDFC Online Transfer के द्वारा Transfer की जायेगी। इस खाता में कोई भी आवेदक नगद राशि जमा नहीं करेंगे।

आवेदक द्वारा इस खाता में राशि भुगतान करने के उपरांत उन्हें एक UTR Number अथवा Transaction Reference Number मिलेगा, जिन्हें वे ध्यान से नोट कर लेंगे। इस नम्बर का उपयोग आवेदन समर्पित करते समय आवश्यक होगा एवं इसी UTR Number/Reference Number के आधार पर आवेदक द्वारा जमा की गई राशि की संपुष्टि की जायेगी। बिना UTR Number/Reference Number भरे समर्पित किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

xx. जिलावार खुदरा उत्पाद दुकानों की विवरणी सभी जिला उत्पाद कार्यालय, विभागीय वेबसाइट jharkhandutpad.nic.in/excise **एवं** https://jhexcise.neml.in पर प्राप्त की जा सकती है।

xxi. खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं बंदोबस्ती की तिथि में परिवर्तन करने का एकाधिकार विभाग के पास रहेगा।

ह0/–
उपायुक्त,
पलामू

ज्ञाप संख्या 265 /उ0 मेदिनीनगर, दिनांक 29.05.2021

प्रतिलिपिः–1. सचिव–सह–आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, पलामू/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/अपर समाहर्त्ता, पलामू/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी अंचलाधिकारी, पलामू को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

4. सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. सभी निरीक्षक उत्पाद/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद/सभी सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, पलामू को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. कार्यालय सूचना पट्ट एवं विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, पलामू से सम्पर्क की जा सकती है।

उपायुक्त,
पलामू

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पलामू

(उत्पाद शाखा)

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष–2021–22 के लिए पलामू जिलान्तर्गत बन्दोबस्ती हेतु खुदरा उत्पाद दुकानों की एकल/समूहवार सूची:–

SL. NO.	Group Name	Shop Type	Shop Code	Name of the Shop	Location of Shop	Annual Licence Fee	Annual CL MGR	Annual FL MGR	Annual Minimum Revenue	Annual Minimum Excise Duty (15% of Col 10)	Annual Excise Transport Duty (85% of Col 10)	Security Deposit (5% of Col 10)	Advance Excise Transport Duty (7.5% of Col 10)	Earnest Money Deposit (2% of Col 10)	Application Fees (Excluding Service Charge & Agency Charge)	Total Payable Amount at filing Application (including Agency Charge & Service Tax)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	08_PAL_C_05	CL	005_CLX_PAL_21-22	NAGAR NIGAM AREA DALTONGANJ (CHHAH MOUHAN CHOWK TO 500 METERS AREA) NO.-03	U1	50,000	40,90,037	–	40,90,037	6,13,506	34,76,531	2,04,502	3,06,753	81,801	10,000	94,191
				GROUP TOTAL		**50,000**	**40,90,037**	**–**	**40,90,037**	**6,13,506**	**34,76,531**	**2,04,502**	**3,06,753**	**81,801**	**10,000**	**94,191**
2	08_PAL_F_11	FL	011_FLX_PAL_21-22	NAGAR NIGAM AREA DALTONGANJ (CHHAH MOUHAN CHOWK TO GHARA PATTI CUM AADAT ROAD) NO-02	U1	1,00,000	–	1,84,48,165	1,84,48,165	27,67,225	1,56,80,940	9,22,408	13,83,612	3,68,963	20,000	3,93,153
				GROUP TOTAL		**1,00,000**	**–**	**1,84,48,165**	**1,84,48,165**	**27,67,225**	**1,56,80,940**	**9,22,408**	**13,83,612**	**3,68,963**	**20,000**	**3,93,153**
3	08_PAL_C_12	CL	007_CLX_PAL_21-22	SUDNA EAST (NAGAR NIGAM AREA DALTONGANJ)	U1	50,000	36,82,764	–	36,82,764	5,52,415	31,30,349	1,84,138	2,76,207	73,655	10,000	86,045
				GROUP TOTAL		**50,000**	**36,82,764**	**–**	**36,82,764**	**5,52,415**	**31,30,349**	**1,84,138**	**2,76,207**	**73,655**	**10,000**	**86,045**
4	08_PAL_C_13	CL	008_CLX_PAL_21-22	SINGRA (NAGAR NIGAM AREA DALTONGANJ)	U1	50,000	36,82,764	–	36,82,764	5,52,415	31,30,349	1,84,138	2,76,207	73,655	10,000	86,045
				GROUP TOTAL		**50,000**	**36,82,764**	**–**	**36,82,764**	**5,52,415**	**31,30,349**	**1,84,138**	**2,76,207**	**73,655**	**10,000**	**86,045**
5	08_PAL_C_21	CL	015_CLX_PAL_21-22	SATBARWA	R	15,000	22,82,764	–	22,82,764	3,42,415	19,40,349	1,14,138	1,71,207	45,655	3,000	49,785
				GROUP TOTAL		**15,000**	**22,82,764**	**–**	**22,82,764**	**3,42,415**	**19,40,349**	**1,14,138**	**1,71,207**	**45,655**	**3,000**	**49,785**
6	08_PAL_M_25	COM	019_COM_PAL_21-22	TARHASI	R	25,000	19,00,946	1,02,51,211	1,21,52,157	18,22,824	1,03,29,333	6,07,608	9,11,412	2,43,043	5,000	2,49,533
				GROUP TOTAL		**25,000**	**19,00,946**	**1,02,51,211**	**1,21,52,157**	**18,22,824**	**1,03,29,333**	**6,07,608**	**9,11,412**	**2,43,043**	**5,000**	**2,49,533**
7	08_PAL_C_26	CL	020_CLX_PAL_21-22	KASMAR	R	15,000	11,31,200	–	11,31,200	1,69,680	9,61,520	56,560	84,840	22,624	3,000	26,754
				GROUP TOTAL		**15,000**	**11,31,200**	**–**	**11,31,200**	**1,69,680**	**9,61,520**	**56,560**	**84,840**	**22,624**	**3,000**	**26,754**
8	08_PAL_C_33	CL	037_CLX_PAL_21-22	NAUDIHA BAZAR	R	15,000	1,09,37,309	–	1,09,37,309	16,40,596	92,96,713	5,46,865	8,20,298	2,18,746	3,000	2,22,876
				GROUP TOTAL		**15,000**	**1,09,37,309**	**–**	**1,09,37,309**	**16,40,596**	**92,96,713**	**5,46,865**	**8,20,298**	**2,18,746**	**3,000**	**2,22,876**
9	08_PAL_F_45	FL	005_FLX_PAL_21-22	NAGAR NIGAM AREA DALTONGANJ (CHHAH MOUHAN CHOWK TO MOHAN CINEMA HALL CUM PRIVATE BUS STAND)	U1	1,00,000	–	2,29,43,024	2,29,43,024	34,41,454	1,95,01,570	11,47,151	17,20,727	4,58,860	20,000	4,83,050
				GROUP TOTAL		**1,00,000**	**–**	**2,29,43,024**	**2,29,43,024**	**34,41,454**	**1,95,01,570**	**11,47,151**	**17,20,727**	**4,58,860**	**20,000**	**4,83,050**
10	08_PAL_F_46	FL	006_FLX_PAL_21-22	NAGAR NIGAM AREA DALTONGANJ (REDMA CHOWK AREA) NO.-01	U1	1,00,000	–	1,80,07,575	1,80,07,575	27,01,136	1,53,06,439	9,00,379	13,50,568	3,60,152	20,000	3,84,342
				GROUP TOTAL		**1,00,000**	**–**	**1,80,07,575**	**1,80,07,575**	**27,01,136**	**1,53,06,439**	**9,00,379**	**13,50,568**	**3,60,152**	**20,000**	**3,84,342**
11	08_PAL_F_51	FL	012_FLX_PAL_21-22	SUDNA EAST (NAGAR NIGAM AREA DALTONGANJ)	U1	1,00,000	–	1,36,57,566	1,36,57,566	20,48,635	1,16,08,931	6,82,878	10,24,317	2,73,151	20,000	2,97,341
				GROUP TOTAL		**1,00,000**		**1,36,57,566**	**1,36,57,566**	**20,48,635**	**1,16,08,931**	**6,82,878**	**10,24,317**	**2,73,151**	**20,000**	**2,97,341**
12	08_PAL_M_53	COM	006_COM_FAL_21-22	BANDLA	R	25,000	23,41,819	43,54,508	66,96,327	10,04,449	56,91,878	3,34,816	5,02,225	1,33,927	5,000	1,40,417
				GROUP TOTAL		**25,000**	**23,41,819**	**43,54,508**	**66,96,327**	**10,04,449**	**56,91,878**	**3,34,816**	**5,02,225**	**1,33,927**	**5,000**	**1,40,417**
13	08_PAL_F_54	FL	019_FLX_PAL_21-22	SATBARWA	R	25,000	–	1,12,53,895	1,12,53,895	16,88,084	95,65,811	5,62,695	8,44,042	2,25,078	5,000	2,31,568
				GROUP TOTAL		**25,000**		**1,12,53,895**	**1,12,53,895**	**16,88,084**	**95,65,811**	**5,62,695**	**8,44,042**	**2,25,078**	**5,000**	**2,31,568**
14	08_PAL_C_55	CL	021_CLX_PAL_21-22	PADMA	R	15,000	15,19,128	–	15,19,128	2,27,869	12,91,259	75,956	1,13,935	30,383	3,000	34,513
				GROUP TOTAL		**15,000**	**15,19,128**	**–**	**15,19,128**	**2,27,869**	**12,91,259**	**75,956**	**1,13,935**	**30,383**	**3,000**	**34,513**
				GRAND TOTAL		**6,85,000**	**3,15,68,731**	**9,89,15,944**	**13,04,84,675**	**1,95,72,701**	**11,09,11,974**	**65,24,234**	**97,86,351**	**26,09,694**	**1,37,000**	**27,79,614**

उपायुक्त,
पलामू